

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 537 सन 2022

अगवान :-

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 22/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 91/86 की कुल 13.6620 हेक्टर में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुत्तोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह के स्थान पर गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेशोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की वहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी वहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 91/86 की कुल 13.6620 हेक्टर में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दरतावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 91/86 की कुल 136620 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह के स्थान पर सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात सरपंच की तस्दीक से वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह होना प्रतित होता है प्रस्तुत दरतावेजात / शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दरतावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात, शपथ पत्र / पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत / वादी के शपथ पत्र / सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक / पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 91/86 की कुल 136620 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह अंकित है के स्थान पर गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह संशोधन किया जाता है तथा जमाबन्दी में दर्ज दोनो हिस्सा 11/108, 1/12 को जोडकर 20/108 अंकित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तस्तीब तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 नोहर (इतुमाजगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- श्वेता कोचर ( आर.ए.एस )

अनुवांन :-

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 537 सन 2022 निर्णय दिनांक-22/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिकृता वादीयागण एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 91/86 की कुल 13.6620 हैव में से 1/12 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह अंकित है के स्थान पर गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह संशोधन किया जाता है तथा जमाबन्दी में दर्ज दोनो हिस्सा 11/108, 1/12 को जोडकर 20/108 अंकित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )